राम प्रीति यादव

बनाम

महेन्द्र प्रताप यादव एवं अन्य

30 अगस्त 2007

(एस.बी.सिन्हा एवं एच.एस.बेदी न्यायमूर्ति.)

न्यायालय की अवमानना-अवमाननाकर्ता उम्मीद्वार रोके गये परीक्षा परिणाम के आधार पर आगे की पढाई की एवं रोजगार प्राप्त किया-परिणाम को रदद् करने का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि नियम अनुमति देता है, तो उम्मीद्वार परीक्षा दे सकता है- अवमाननाकर्ता-उम्मीद्वार द्वारा परीक्षा बोर्ड से परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगना-अवमाननाकर्ता-बोर्ड के सचिव द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने की घोषणा करने वाला प्रमाणपत्र जारी करना-बाद में प्रमाणपत्र निरस्त करना-अभ्यर्थी द्वारा असफल रूप से निरस्त किये जाने को चुनौती देने-उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका-निर्णित-अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय की अवमानना की-अवमाननाकर्ता-उम्मीद्वार ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पर्णियों का अनुचित लाभ उठाया-यह

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप है-अवमाननाकर्ता-सचिव ने कानून के विपरीत कार्य किया-न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 129 और 142।

प्रत्यर्थी संख्या-1 अवमाननाकर्ता इन्टरमिडिएट परीक्षा में उपस्थित हुआ उसका परिणाम रोक दिया गया हालांकि उसे एक अनन्तिम अंकतालिका जारी की गई। अनन्तिम अंकतालिका के आधार पर उसने आगे की पढाई की और बाद में रोजगार भी प्राप्त किया। इन्टरमिडिएट परीक्षा का परिणाम रदद् कर दिया गया। रदद् करने के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता ने यहां विशेष अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने खारिज कर दिया। अपील में इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3.9.2003 द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए कहा कि परिणाम रदद् किये जाने योग्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि प्रत्यर्थी संख्या-1 इन्टरमिडिएट परीक्षा देने का हकदार है तो उसे कानून के अनुसार अनुमति दी जा सकती है।

प्रत्यर्थी संख्या-1 ने आदेश दिनांक 3.9.2003 में की गई टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए परीक्षा बोर्ड के सचिव-अवमाननाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या-2) को एक आवेदन दायर किया एवं परीक्षा में एक निजी उम्मीद्वार के रूप

में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रत्यर्थी संख्या-1 ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने बोर्ड के सचिव को कानून के अनुसार आवेदन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी संख्या-2 अवमाननाकर्ता ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्भर रहते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया। जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या-1 को इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कहा गया। हालांकि उक्त प्रमाणपत्र बाद में निरस्त कर दिया गया। प्रमाणपत्र को निरस्त करने की वैधता पर प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा हस्तगत अवमानना याचिका दायर की गई।

न्यायालय ने याचिका मंजूर करते अभिनिर्धारित किया-

1- ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी उम्मीद्वार को बाद के समय में परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और वह भी एक निजी उम्मीद्वार के रूप में। वैधानिक बोर्ड का सचिव होने के नाते अवमाननाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-2 से कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अवमाननाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा दायर कथित आवेदन पर कार्यवाही करने से पहले उसे मौजूदा नियमों पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए था। इस

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.9.2003 की मंशा पर भी मस्तिष्क प्रयोग आवश्यक था।

(पैराज 4 एवं 12)(593-जी; 596-एफ-जी)

2- दिनांक 3.9.2003 के आदेश को स्पष्ट रूप से पढने पर यह दर्शित होगा कि कथित अवमाननाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा की गई धोखाधडी को इस न्यायालय द्वारा माफ नहीं किया गया था। उसका परिणाम निरस्त घोषित कर दिया गया। हालांकि एक टिप्पणी केवल इस आशय से की गई थी कि यदि कोई नियम अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देता है तो बोर्ड उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अब यह स्वीकृत स्थिति है कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है, जिसके तहत अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 परीक्षा में उपस्थित हो सके। अन्यथा भी उसका आवेदन केवल परीक्षा में शामिल होने तक ही सीमित था। प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किया गया इसको प्रकट नहीं किया गया है। यह कोई सामान्य गलती नहीं है। यदि उक्त प्रमाणपत्र वापस नहीं लिया गया होता, तो अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 की स्थिति बहाल हो जाती। उसे उसकी सेवा वापस मिल जाती। उसने उस कॉलेज से भी अन्य लाभों का दावा किया होगा, जहां वह सेवारत था। इसलिए अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 का आचरण दोष से मुक्त नहीं है। उसने इस न्यायालय के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया। उक्त अभ्यावेदन का

आधार, जैसाकि अब पता चला है, अस्तित्वहीन है। जो वह कर सकता था वह प्रासंगिक नियम की खोज करना था जो इस मामले में लागू था। कोई कार्यवाही न होने पर ही उसने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उसने उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी नहीं दी कि ऐसा कोई नियम अस्तित्व में नहीं था। इसलिए न्यायालय की राय में अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अनावश्यक विचार पर प्रमाणपत्र जारी किया होगा। अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 उक्त अवैध एवं धोखाधडीपूर्वक जारी किये गये प्रमाणपत्र का लाभार्थी है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा मांगी गई माफी स्वीकार किये जाने योग्य हो। (पैराज 13 एवं 14)(596-जी-एच;597-ए-ई)

3- यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुचित लाभ उठाना भी, न्याय प्राप्ति हेतु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना है। यह सुस्थापित है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। (पैराज 15 एवं 16)(597-ई, एफ,जी)

4- न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 एवं 142 के संदर्भ में ऐसे निर्देश जारी करने का इस न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है, जो न्याय प्राप्ति के

लिए आवश्यक है। अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 इस न्यायालय की अवमानना के दोषी है। (पैराज 17)(597-जी;-598-ए)

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः अवमानना याचिका संख्या. (सी) 512/2004 बमुकदमा सी.ए. नंबर 4034/2001

वाई.पी.सिंह, सी.सिद्धार्थ, पी. पूर्णिमा, एन.बी. अग्रवाल एवं देबाशीष मिश्रा-अधिवक्ता-याचिकाकर्ता

दिनेश द्विवेदी, शीरिष कुमार मिश्रा, जेड.के. फैजान, बी.यू. बुर्की, गुडवील इनडीवर, निरंजन सिंह, के.एल. जनजानी एवं कामख्शी एस. मेहलवाल-अधिवक्ता प्रत्यर्थी

न्यायालय निर्णय पारित द्वारा

एस.बी.सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए यह आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3.9.2003 की कथित अवमानना के लिए दायर किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

> ‘‘इस स्तर पर हम प्रत्यर्थी संख्या-3 को इंटरमिडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कोई निर्देश जारी करने में भी असमर्थ है; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस संबंध में सुसंगत नियम नहीं बनाए गए है।

हालांकि, हम यह मताभिव्यक्त कर सकते है कि यदि वह कानून में उक्त परीक्षा देने का हकदार है, तो उसे अनुमति दी जा सकती है।''

2. प्रत्यर्थी संख्या-1 यहां निजी उम्मीद्वार के रूप में जनता इंटर कॉलेज, आजमगढ (यूपी) से यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमिडिएट एजुकेशन द्वारा आयोजित इंटरमिडिएट परीक्षा में उपस्थित हुआ। उसका परिणाम रोक दिया गया था। कथित तौर पर उन्हें एक अनंतिम मार्कशीट जारी की गई थी, जिसमें यह नहीं दिखाया गया था कि इंटरमिडिएट परीक्षा के लिए उनका परिणाम रोक दिया गया था। उक्त कथित अनंतिम मार्कशीट के आधार पर, उसने आगे की पढाई की और स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर भी पूरा किया। वह एक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें सूचित किया कि इंटरमिडिएट परीक्षा में उनका परिणाम निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा मंजूरी दी गई थी। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यहां एक खंडपीठ के समक्ष एक विशेष अपील प्रस्तुत की जिसे संक्षेप में खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष पहुंचे। उक्त विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न सिविल अपील संख्या-4034/2001 में, इस

न्यायालय ने दिनांक 03.09.2003 के अपने फैसले में, इसकी अनुमति देते हुए उपरोक्त टिप्पणियां की।

3. निर्विवाद रूप से, उक्त टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए, प्रत्यर्थी-अवमाननाकर्ता संख्या-1 ने 28.9.2003 को अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि उन्हें एक निजी उम्मीद्वार के रूप में इंटरमिडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे ब्छॅच् छवण्2088 ध्2004 के रूप में चिन्हित किया गया था। जो कि यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निर्णित की गईः

"याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस.के.यादव को सुनने के साथ-साथ राज्य-प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता और रिकार्ड के अवलोकन पर, इस रिट याचिका का निपटारा यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमिडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद, प्रत्यर्थी संख्या-2 के सचिव को निर्देश देने के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता के 28.9.2003 के आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से उपयुक्त आदेश पारित करे अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 28.9.2003 के आवेदन की एक प्रति को उक्त प्रत्यर्थी संख्या-2 समक्ष दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।

4. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है जो किसी उम्मीद्वार को बाद में परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है और वह भी एक निजी उम्मीद्वार के रूप में।

5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उक्त, कथित टिप्पणियों पर या उसके आधार पर निर्भर रहते हुए अवमाननकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा दिनांक 14.5.2004 को या उसके लगभग एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में प्रत्यर्थी संख्या-1 को उक्त इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मानते हुए द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। हालांकि, पृथक-पृथक विषयों में पृथक अंक नहीं दिए गए थे।

6. तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रमाणपत्र दिनांक 22.11.2004 के एक आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में समाचार पत्र में एक सूचना भी प्रकाशित की गई थी, जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

> "आम जनता को सूचित किया जाता है कि वर्ष 1984 में परीक्षार्थी महेन्द्र प्रताप यादव अनुक्रामंक 575203 जिला आजमगढ को जारी इंटरमिडिएट परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र संख्या INT.002557 को निरस्त कर दिया गया है।
>
> निरस्त किए गए प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध होगा और दंडनीय अपराध होगा।"

7. उक्त आदेश की वैधता पर अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके सवाल उठाया गया था, जिसे ब्छॅच् छवण्2088ध्2004 के रूप में चिन्हित किया गया था। दिनांक 06.08.2004 के निर्णय और आदेश के कारण, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया थाः

> "उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का लाभ उठाते हुए कि उन्हें इंटरमिडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, याचिकाकर्ता ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को एक अभ्यावेदन दिया और उसके बाद एक रिट याचिका संख्या 20088/2004 दायर की, जो कि बोर्ड को अपने अभ्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश देते हुए आदेश दिनांक 22.01.2004 द्वारा निस्तारित की गई।"

जाहिर तौर पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गौर किये बिना और इस निष्कर्ष पर विचार किए बिना कि याचिकाकर्ता का इंटरमिडिएट परीक्षा का परिणाम दिनांक 6.1.85 को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निरस्त कर दिया गया। बोर्ड के उप सचिव द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता का 1984 का परिणाम घोषित किया जाना चाहिए, जिसे कि रोक दिया गया था। मेरी राय में यह

आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि याचिकाकर्ता का परिणाम निरस्त कर दिया गया था। यह निष्कर्ष उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने केवल यह कहा था कि अगर वह परीक्षा देने का हकदार है, तो उसे उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के समक्ष स्वीकार किया गया कि वह दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हुआ और फिर से गलत अभ्यावेदन देकर व्यवस्था के साथ धोखाधडी करने की कोशिश कर रहा है अर्थात परिणाम घोषित किया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पाया कि उच्चतम न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता सेवा में बहाली और वेतन और अन्य सेवा लाभों के भुगतान के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

याचिकाकर्ता को व्यवस्था को और अधिक प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ धोखाधडी के निष्कर्ष के बाद वह इस न्यायालय से किसी भी साम्यिक अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

तदनुसार रिट याचिका को 10,000/-रूपये के खर्चे के साथ खारिज किया जाता है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ द्वारा याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा। खर्चा तीन महीने के भीतर वसूल किया जाएगा और

इस न्यायालय के विधिक सहायता प्राधिकरण के खाते में उचित भुगतान हेतु इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाएगा।

8. इसके बाद अवमानना याचिका 09.08.2004 को या उसके लगभग दायर की गई थी।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.पी.सिंह ने यह निवेदन किया कि अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 का उपरोक्त आचरण, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उन्होंने सोच समझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।

10. अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने निवेदन किया कि यद्यपि उनके मुवक्किल द्वारा एक गलती की गई थी, लेकिन उसे प्रधानाध्यापक/जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 22.11.2004 द्वारा सुधारा गया था, जैसा कि निम्नलिखित से प्रतीत होता हैः

> ‘‘डब्ल्यू.बी. सूची में रोल नंबर 575203 वाले छात्र महेन्द्र प्रताप यादव के 1984 इंटरमिडिएट परीक्षा के परिणाम को निरस्त करके, परीक्षार्थी की अंकतालिका और प्रमाणपत्र आपको कार्यालय पत्र संख्या गोपनीय/3,4,5, उच्च विद्यालय/इंटर/मुख्यालय/47/दिनांक 11.03.2004 एवं पत्रांक

एस ई ई/प्रमाणपत्र/इंटर/191 दिनांक 19.03.2004 द्वारा भेजा गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 4034 सन् 2001 एवं याचिका संख्या 20121/2004 दिनांक 21.05.2004 में पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 20.11.2004 को आयोजित परीक्षा बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इंटरमिडिएट परीक्षा 1984 के रोल नंबर 575203 के परीक्षार्थी श्री महेन्द्र प्रताप यादव का परिणाम तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा उन्हें जारी किए गए इंटरमिडिएट परीक्षा 1984 के मूल अंकतालिका और प्रमाणपत्र तुरंत वापस किए जाने चाहिए और मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। समिति के निर्णय की सूचना तत्काल विशेष संदेशवाहक द्वारा संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि कृपया संबंधित परीक्षार्थी को उक्त निर्णय से अवगत कराते हुए परीक्षार्थी से मूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र प्राप्त कर निरीक्षक, जिला विद्यालय, आजमगढ को उपलब्ध कराने की कृपा करे।"

यह निवेदन किया गया कि कथित अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा दी गई माफी को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

11. हालांकि, अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवमानना याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2003 में कोई निर्देश जारी नहीं किया है और इस प्रकार, इसके उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। यह तर्क दिया गया कि निर्देश, यदि कोई हो, अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में दिया गया है, तो कार्यवाही पोषणीय नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 ने केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, यदि बोर्ड ने प्रमाणपत्र जारी किया तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

12. हमें अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 के आचरण पर संबोधित किया गया है। वैधानिक बोर्ड के सचिव होने के नाते अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 से कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा दायर कथित आवेदन पर कार्यवाही करने से पहले, उसे मौजूदा नियमों पर अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2003 की मंशा पर भी उन्हें अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आवश्यक था।

13. उक्त आदेश को स्पष्ट रूप से पढने पर, यह स्पष्ट होगा कि कथित अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा की गई धोखाधडी को इस न्यायालय द्वारा माफ नहीं किया गया था। उनका परिणाम निरस्त घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट रूप से उलट दिया गया था। हालांकि, एक टिप्पणी केवल इस आशय से की गई थी कि यदि कोई नियम अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देता है, तो बोर्ड उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अब यह स्वीकार किया गया है कि ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है जिसके तहत अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 परीक्षा में उपस्थित हो सके। अन्यथा भी उनका आवेदन केवल परीक्षा में शामिल होने तक ही सीमित था। प्रमाणपत्र किस आधार पर दिया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। यह कोई सामान्य गलती नहीं है, जैसाकि श्री द्विवेदी द्वारा निवेदन किया गया था। उक्त प्रमाणपत्र, यदि वापस नहीं लिया गया होता, तो अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 की स्थिति बहाल हो जाती। उसे उसकी सेवा वापस मिल जाती। उसने कॉलेज से भी अन्य लाभों का भी दावा किया होगा जहां वे सेवारत थे। इसलिए, अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 का आचरण दोषमुक्त नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया। उक्त अभ्यावेदन का आधार, जैसा कि अब पता चलता है, अस्तित्वहीन है। वह जो कर सकता था वह प्रासंगिक नियम की खोज करना था, जो इस मामले में लागू था। सिर्फ कोई कार्यवाही न होने के

कारण ही उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उसने उच्च न्यायालय को यह जानकारी नहीं दी कि ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अनावश्यक विचार पर प्रमाणपत्र जारी किया हो। अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 उक्त अवैध या कपटपूर्ण प्रमाणपत्र का लाभार्थी है।

14. प्रमाणपत्र दिनांक 14.05.2004 को जारी किया गया था। परीक्षा बोर्ड द्वारा ही उक्त प्रमाणपत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, हमारी राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा मांगी गई माफी स्वीकार की जानी चाहिए।

15. अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन कि अवमानना याचिका पोषणीय नहीं है, सही नहीं है। हालांकि इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, जाहिर है कि पहले के प्रमाणपत्र को निरस्त करने का निर्देश दिया गया था। यदि अगर ऐसा है, तो अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 को किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता है जो उसके रिकार्ड को छिपाने का कार्य होगा। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुचित लाभ उठाना भी न्याय प्रदान करने में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना है।

16. यह सर्वविदित है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है।

17. न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, इस न्यायालय पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 और अनुच्छेद 142 के संदर्भ में ऐसे निर्देश जारी करने का संवैधानिक कर्तव्य है, जो न्याय के लिए आवश्यक है, इसलिए, हमारी राय है कि अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 इस न्यायालय की अवमानना के दोषी है।

18. हालांकि, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यदि दोनों को 2,000/-रूपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया जाता है, तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। उन्हें जुर्माने की राशि तारीख से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी, अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी।

19. अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-3 और 4 स्वीकृत रूप से उपरोक्त आदेश के पक्षकार नहीं है। उनके विरूद्ध नियम खारिज कर दिया गया है; जबकि नियम को अवमाननाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या-1 और 2 के खिलाफ पूर्ण बनाया गया है।

20. यह याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिलाषा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।